Title: Need to address the grievances of people affected by Upper Ganga Dam Project in Hingoli District, Maharashtra.

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : महोदय, 1968 के करीब अप्पर गंगा डैम परियोजना बनी थी, जिसमें कई आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन को अधिग्रहित किया गया था एवं उनको मुआवजा के नाम पर केवल 800 रुपये से लेकर 900 रुपए एकड़ दिया गया है और बहुत से लोगों को अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया गया। जब भी किसी की जमीन ली जाती है, तो मुआवजा एवं पुनर्वास और क्षेत्रीय विकास कार्य किया जाता है, परन्तु इस परियोजना के संबंध में कुछ नहीं किया, जमीन को अधिग्रहित किए जाने के बाद न लोगों को पास जमीन है, न लोगों को पास रोजगार है, न स्कूल है और न ही सड़क है। इस संबंध में न्यायालय ने पीड़ित लोगों के पक्ष में डिक्री दे दी है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण की जांच की जाए और दोाी लोगों को दंडित किया जाए और पीड़ित लोगों को न्यायालय के निर्णय के हिसाब से न्याय दिया जाए।